

साइबर ठगी के 30,845 रुपये पुलिस ने कराए वापस

गैड़ास बुजुर्ग पुलिस की तत्परता से पीड़ित को मिली राहत, पुलिस टीम का जताया आभार

लखनऊ सुपरफास्ट खबरे
ब्यूरो चीफ सौरभ कौशल
बलरामपुर, गैड़ास बुजुर्ग।
साइबर ठगी के मामले में गैड़ास
बुजुर्ग पुलिस की तत्परता से
पीड़ित के खाते से ठगी गई
30,845 रुपये की धनराशि
वापस करा दी गई। रुपये वापस
मिलने पर पीड़ित ने पुलिस टीम
के प्रति आभार जताते हुए
पुलिस की त्वरित कार्रवाई की
सराहना की। पुलिस के
अनुसार, थाना गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र
के बजरमुण्डा निवासी अशोक
कुमार पुत्र भीखीराम के खाते से
साइबर ठगी के माध्यम से
30,845 रुपये अंतरित कर
लिए गए थे। पीड़ित ने मामले
की शिकायत नेशनल साइबर
क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज
कराई थी। शिकायत संख्या



23107260126186 के
आधार पर थाना गैड़ास बुजुर्ग
की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने
तत्काल कार्रवाई शुरू की।
तकनीकी जांच और आवश्यक
विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए
पुलिस टीम ने साइबर ठगी की
धनराशि को सफलतापूर्वक
पीड़ित के बैंक खाते में वापस

करा दिया। धनराशि वापस
मिलने पर पीड़ित ने प्रसन्नता
व्यक्त करते हुए बलरामपुर
पुलिस की त्वरित एवं
संवेदनशील कार्रवाई की
सराहना की। पुलिस टीम में
थानाध्यक्ष हरीश सिंह,
उपनिरीक्षक शुभम कुमार यादव,
महिला कांस्टेबल शैलजा सिंह

और कांस्टेबल विशाल तिवारी
शामिल रहे। साइबर ठगी होने
पर तत्काल करें शिकायत
बलरामपुर पुलिस ने नागरिकों से
अपील की है कि साइबर ठगी
का शिकार होने पर बिना देरी
किए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर
कॉल करें अथवा नेशनल
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
पर शिकायत दर्ज कराएं। समव
रहते शिकायत मिलने पर ठगी
की धनराशि को होल्ड कराने
और विधिक प्रक्रिया के माध्यम
से वापस कराने की संभावना
बढ़ जाती है। पुलिस ने लोगों
को सलाह दी है कि किसी
अनजान व्यक्ति के साथ डकठ,
ढक्क, पासवर्ड, उश्श अथवा
बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी
साझा न करें और सदिग्ध लिंक
या ऐप पर क्लिक करने से बचें।